अपर समाहर्त्ताओं के साथ दिनांक 02.09.2014 को प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न विभागीय बैठक की कार्यवाही :–

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया।

आज दिनांक 02.09.2014 को प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में अपर समाहर्त्ताओं के साथ विभागीय समीक्षात्मक परिचर्चा की गयी।

सभी जिलों से कार्यावली बिन्दुवार विशेष एवं विस्तृत समीक्षा की गयी।

1. **(क)** सर्वप्रथम सभी अपर समाहर्त्ताओं को निदेशित किया गया कि सभी रिपोर्ट को online ही भेजा जाय। सभी रिपोर्ट को पेपरलेस करना है। कोई भी जिला द्वारा सभी रिपोर्ट को online नहीं किया गया था। कुछ रिपोर्ट को online किया गया था कुछ को नहीं किया गया था। विशेष सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि अगली बैठक में सभी रिपोर्ट को online ही भेजना है। पिछली बैठक में निदेशित करने के बावजूद भी तीन जिला यथा – मधुबनी, जहानाबाद और बाँका द्वारा एक भी रिपोर्ट को online नहीं किया गया था। निदेशित किया गया कि सभी समाहर्त्ता को अगली बैठक से पूर्व सभी रिपोर्ट को online भेजने हेतु पत्र भेजा जाय। जो भी डाटा online किया गया है उसे आम जनता को देखने के लिए सुविधा दी जाय।

(ख) <u>सम्पर्क सड़क</u> :– इस योजनान्तर्गत भू–अर्जन के आधार पर भूमि उपलब्ध नहीं होने पर MVR दर पर भूमि उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(ग) प्रधान सचिव द्वारा सभी अपर समाहर्त्ताओं से कहा गया कि प्रत्येक माह अपर समाहर्त्ताओं की बैठक केवल इसलिए नहीं बुलायी जा रही है कि मात्र बैठक में भाग लेकर खानापुरी करना है। इस बैठक के माध्यम से लोगों को लाभ मिलना सुनिश्चित किया जा सके, इस बैठक का मुख्य उद्धेश्य रहा है।

(घ) प्रधान सचिव के द्वारा सभी अपर समाहर्त्ताओं को निदेश दिया गया कि व्यक्तिगत अभिरूची लेकर राजस्व से जुड़े मामलों को निष्पादित करना चाहेंगे ताकि गरीब जनता को इसका लाभ प्राप्त हो सके और राहत मिल सके।

(कार्रवाई– विभाग एवं सभी जिला)

2. <u>बी0पी0पी0एच0टी0 (बिहार प्रश्रय प्राप्त रैयत वासभूमि अधिकृत अधिनियम का कार्यान्वयन)</u>

बी0पी0पी0एच0टी0 के अंतर्गत लम्बित वासगीत पर्चा से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पुनः स्पष्ट हुआ कि अभी भी कई जिलों में काफी मात्रा में वासगीत पर्चा से संबंधित आवेदन लम्बित है, जिनका निष्पादन नहीं हुआ है। इस मामले में किसी भी जिला की स्थिति संतोषजनक नहीं पायी गयी।

(कार्रवाई–प्रशाखा पदाधिकारी 8 एवं सभी जिला)

3. <u>भूदान</u> :–

बैठक में भू–दान के वैसे मामले जिसमें पर्चा मिल गया है और दाखिल खारिज नहीं हुआ है, में त्वरित अभियान चलाकर आवश्यक कार्रवाइ करने एवं संपुष्ट जमीन का वितरण जल्द–से–जल्द करने का निदेश दिया गया। समीक्षा में पाया गया कि कुछ जगहों में भू–दान की जमीन भू–दाता के कब्जे में ही है। पिछले नहीने में भूदान यज्ञ समिति के द्वारा दाखिल–खारिज सम्बन्धी मामले विभिन्न जिलों को दिये गये थे। उक्त के आलोक में आशा की गयी कि उन जिलों के द्वारा उन पर कार्रवाई की गयी होगी। भागलपुर के पीरपैंती अंचल में मौजा–मुन्डवा मे करीब 26 प्रमाण पत्र रद्द करने के लिए धारा–31 के अन्तर्गत कार्रवाई चल रही है। पर्चा को रद्द करने की शक्ति भूदान यज्ञ समिति को है। बहुत सारे ऐसे भी मामले प्रकाश में आ रहें है जिसमें दो व्यक्तियों के द्वारा दावा किया जा रहा है। भूदान यज्ञ कमिटी को पार्टी बनाया गया है। धारा–21 के तहत बिना कार्रवाई किये हुए दिया गया है तो गलत किया गया है। जिनके नाम से पर्चा दिया गया है, यदि उनके तीन पुत्र है तो उक्त जमीन का नामान्तरण तीनों पुत्रों के नाम से होगा।

प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि जिन–जिन जिलों में भूदान के पूराने मामले है, उन सभी मामलों को त्वरित गति से पुरा करना होगा। इस सम्बन्ध में अपर समाहर्त्ताओं से सम्पर्क कर तिथि निर्धारित की जानी है कि माह–अक्टुबर से दिसम्बर माह में किन तिथिओं को समय निकालकर इन कार्यों को सम्पादित करेंगे। यह अभियान पाँच दिनों तक लगातार चलेगा। भूदान में प्राप्त वितरण योग्य भूमि का वितरण नहीं करने पर गोपालगंज के अपर समाहर्त्ता को प्रधान सचिव द्वारा सख्त चेतावनी दी गयी। अगली बैठक को इसे शून्य कर देने का भी निदेश उनको दिया गया एवं वितरण हेतु सभी जिलों को प्रधान सचिव के तरफ से अर्द्ध सरकारी पत्र देने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई– प्रशाखा पदाधिकारी 7 एवं सभी जिला)

4. <u>भू–हदबंदी–</u>

समीक्षा में पाया गया कि एस0डी0ओ0,ए0डी0एम0 एवं डी0 एम0 के पास भू–हदबंदी से संबंधित लंबित मुकदमों में तिथि पड़ रही है। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि अयोग्य भूमि का पता लगाने हेतु कागजात के आधार पर स्थल निरीक्षण कराया जाय।

(कार्रवाई– प्रशाखा पदाधिकारी 7 एवं सभी जिला)

5. <u>अमीन</u>

प्रधान सचिव द्वारा बतलाया गया कि दिनांक–02.09.2014 प्रशासनी पदवर्ग समिति की हुई बैठक नें सभी 101 डी0सी0एल0आर0 कोर्ट के लिए एक–एक अमीन के पद की स्वीकृत प्राप्त हो गयी है। जिसे मंत्री परिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु संलेख उपस्थापित करने का निदेश दिया गया एवं इसकी सूचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भी देने का निदेश दिया गया है, ताकि जिसे इन पदों को भी आयोग के द्वारा ली जानेवाली नियुक्ति में शामिल किया जा सके।

(कार्रवाई– प्रशाखा पदाधिकारी 4 एवं सभी जिला)

6. महादलित विकास योजना

इस योजनान्तर्गत कम से कम तीन डिसमिल भूमि वासरहित परिवार को उपलब्ध कराना है। इस योजनान्तर्गत कुछ जिलों द्वारा बताया गया कि कहीं–कहीं तीन डिसमिल के बदले दो डिसमिल, ढ़ाई डिसमिल या डेढ़ डिसमिल ही जमीन उपलब्ध कराया गया है और वहाँ उतनी ही जमीन में घर बनाकर रह रहे हैं। इस योजना में जहाँ जमीन उपलब्ध नहीं है वहाँ 20000/– के बदले MVR दर पर जमीन उपलब्ध कराने का निदेश पूर्व में भी दिया गया था, जिसे तत्परता से लागू करने का निदेश दिया गया। भोजपुर, बक्सर जिले में यह कार्य 100% कर दिया गया है। इसी तरह से अन्य जिलों को भी निदेश दिया गया कि वे भी इस कार्य को तत्परता से करें। प्रधान सचिव द्वारा समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि महादलितों को आवास भूमि उपलब्ध कराने हेतु सभी जिलों को राशि आवंटित कर दिया गया है। पटना जिला को अधिक राशि आवंटित हो गयी है, उसे लौटाने का आदेश दिया गया एवं बक्सर के माँग के अनुसार 02 करोड़ की राशि आवंटित करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई– प्रशाखा पदाधिकारी 8 एवं सभी जिला)

7. न्यायालीय मुकदमों का निष्पादन के संबंध में।

विभाग के अन्तर्गत कुल 585 सी0डब्लू0जे0सी0 के मामले एवं 44 एम0जे0सी0 के मामले प्रतिशपथ पत्र/कारण पृच्छा दायर करने हेतु लम्बित है। समीक्षा में पाया गया कि एम0जे0सी0 से सम्बन्धित 44 मामलों में से 18 मामलों का विभिन्न जिलों द्वारा निष्पादन कर दिया गया है। मधुबनी, बाँका, जहानाबाद द्वारा कोर्ट केस Online नहीं किये जाने पर प्रधान सचिव द्वारा नाराजगी जताते हुए सभी जिलों को इसे Online करने का निदेश दिया गया।

प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि न्यायालय के आदेशों के अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, ताकि बाद में अवमानना का मामला न बन जाये। साथ ही जिन जिलों में मुकदमा से सम्बन्धित 20 से ज्यादा मामले लंबित है, वहाँ के समाहर्त्ता को पत्र भेजा जाय।

(प्रशाखा–11 एवं सभी जिला)

8. विधान मंडलीय कार्य

सभी समाहर्त्ताओं को पुनः विधान सभा/विधान परिषद् के लम्बित प्रश्न/आश्वासन/निवेदन तथा विशेष रूप से विधान सभा के शून्यकाल के लम्बित मामलों का निपटारा शीघ्र करने का निदेश दिया गया। सभी निदेशालय/प्रशाखा को भी पुनः निदेश दिया गया कि वे विधायिका से संबंधित ऐसे सभी लंबित प्रश्नों, जिनका उत्तर अबतक अप्राप्त हैं, कि छाया प्रति प्रशाखा–10 को शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया कि उसे संकलित कर विभागीय वेब साइट पर डाला जा सके।

(कार्रवाई– विभाग एवं सभी जिला)

9. <u>कृषि गणना</u>

दिनांक 24.06.2014 एवं 31.07.2014 की बैठक में सभी अपर समाहर्त्ताओं को लंबित अनुसूची "एच" का कार्य पूरा करने का निदेश दिया गया था। प्रधान सचिव द्वारा पुनः लंबित शेष चयनित गाँवों की अनुसूची "एच" अविलम्ब विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश गया गया।

(कार्रवाईः कृषि गणना एवं सभी जिला)

10. <u>लोक लेखा</u>

लोक–लेखा समिति की अगली बैठक दिनांक–11.09.2014 को होने वाली है, जिसमें सभी अपर समाहर्त्ताओं को बुलाया जा सकता है। लोक–लेखा से संबंधित मामलों की अगर पूरी तैयारी नहीं होगी तो इसकी पूर्ण जवाबदेही अपर समाहर्त्ताओ की होगी। उत्तर संतोषप्रद नहीं होने से कठिनाई हो सकती है। उक्त बैठक में प्रधान सचिव स्वयं भी उपस्थित रहेंगे। उल्लेखनीय है कि दिनांक–03.09.2014 को इस संबंध में वित्त विभाग में भी इसकी समीक्षा होगी।

(कार्रवाईः प्रशाखा पदाधिकारी 13 एवं सभी जिला)

11. <u>दाखिल–खारिज एवं बेदखली</u>

प्रधान सचिव द्वारा बेदखली के मामलों को त्वरित गति से निपटाने का निदेश दिया। दाखिल खारिज के मामले में भी त्वरित निपटारा करने का निदेश दिया गया। साथ ही निदेश दिया गया कि रजिस्टर– II को भी अपडेट किया जाय। सभी जिला से इस संबंध में पूछने का निदेश दिया गया। बेदखली में मामले में पूर्णिया जिला को कड़ा निदेश दिया गया। प्रधान सचिव द्वारा बतलाया गया कि अभी मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सभी जिला पदाधिकारी के साथ जो बैठक की गयी थी, उसमें उनके द्वारा बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि राज्य में जमीन से संबंधित मामलों में काफी कठिनाई उत्पन्न हो रही है। सभी जिला पदाधिकारियों को जवाबदेही दी गयी है कि ऐसे बहुत सारे मामलों में विवाद नहीं होना चाहिए। दाखिल–खारिज का मामला भूमि विवाद के मामले के अन्तर्गत ही आता है। जिन–जिन जिलों में लोगो को भूदान का पर्चा मिला है, और उनका दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति दर्शाता है। शीघ्र दाखिल–खारिज पूरा करने का निदेश प्रधान सचिव द्वारा दिया गया साथ ही सूचित किये कि एक परिपत्र ऑपरेशन भूमि दखल के नाम से सभी जिलों में अभियान चलाने के लिये भेजा जा रहा है एवं दाखिल–खारिज के संबंध में विभाग के द्वारा अधिनियम बनाने की कार्रवाई चल रही है। साथ ही रजिस्टर–II को स्कैन, कृषि मैप, भू–अभिलेख हेतु सॉफ्ट वेयर तैयार किया जा रहा है। भूमि का चौहद्दी रजिस्टर II में दर्ज हो, इस विषय पर भी चर्चा की गयी।

(कार्रवाई– प्रशाखा पदाधिकारी 9/7 एवं सभी जिला)

12. <u>भू–अभिलेखों का अद्यतीकरण</u>

डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार हेतु बताया गया कि लगभग सभी जगह जमीन उपलब्ध करा दिया गया है। दो–चार अंचलों में जमीन की कमी अभी भी बतायी गयी है। जहाँ जमीन की कमी हो वहाँ Vertical अभिलेखागार निर्माण करने पर विचार करना होगा।

(कार्रवाई– भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

भू–अभिलेखों के अद्यतनीकरण हेतु दिनांक–12 से 14 सितम्बर, 2014 के बीच प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजन करने का निदेश दिया गया। निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप द्वारा निदेशित किया गया कि अभिलेखों की प्रविष्टि खेसरा वार किया जाय।

(कार्रवाई– भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय एवं सभी जिला)

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांकः– 10/सम0अ0स0(बैठक)कार्यवाही– 43/2014 288(10)../रा0, पटना–15, दिनांक–24/09/201

ई–मेल
फैक्स

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता/माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारीगण/सभी प्रशाखा पदाधिकारीगण, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/9/14

(उमेश सिंह)
सरकार के उप सचिव।